संख्या-99/2026/I/1285653/2026/71-1001(099)/117/2021

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,

संयुक्त सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनाँक 31 मार्च, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर से सम्बद्ध लाला लाजपत राय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, कानपुर के प्रथम चरण के प्राथमिकता के विद्युत सुरक्षा से सम्बन्धित कार्य हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2025-26/536, दिनांक 10.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें द्वारा जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर से सम्बद्ध लाला लाजपत राय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, कानपुर के प्रथम चरण के प्राथमिकता के विद्युत सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यो हेतु स्वीकृत लागत रू0 1425.85 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 643.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-03/2024/I/470305/2024/71-1001(099)/117/2021, दिनांक 12.01.2024 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर से सम्बद्ध लाला लाजपत राय एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों, कानपुर के प्रथम चरण के प्राथमिकता के विद्युत सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यो हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत रू0 1425.85 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 712.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। इस प्रकार परियोजना हेतु रू0 713.85 लाख की धनराशि अवमुक्त किया जाना शेष है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर से सम्बद्ध लाला लाजपत राय एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों, कानपुर के प्रथम चरण के प्राथमिकता के विद्युत सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यो** हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक 4210-03-105-72-राजकीय मेडिकल कालेजों एंव संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि में से प्रश्नगत **परियोजना की द्वितीय किश्त के रूप में रू0 643.00 लाख (रू0 छः करोड़**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तैंतालिस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किए जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एंव विशिष्टियों से प्रधानाचार्य स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर बैंक खाते में नही रखा जायेगा।/
5. परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-03/2024/।/470305/ 2024/71-1001(099)/117/2021, दिनांक 12.01.2024 द्वारा में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,43,00,000 (रुपये छह करोड़ तैंतालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031057200 राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्या:-उपर्युक्तानुसार/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
7. आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।